

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर -राज0

पीठासीन अधिकारी : महावीर प्रसाद शर्मा, तहसीलदार

मिसल संख्या : 71/17

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 30.10.2017 निर्णय दिनांक : 15.12.2017

राजस्थान सरकार बनाम धारूराम पुत्र भैरूराम, रमेश,
राजूराम, औमप्रकाश पि. धारूराम
जाति बंजारा नि0 कुचामन सिटी

-: उनवान :-

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थीगण अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कुचामन सिटी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि धारूराम पुत्र भैरूराम वगैराह जाति बंजारा निवासी कुचामन सिटी नें ग्राम कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 2389 कुल रकबा 38.01 हैक्टेयर में से रकबा 0.03 हैक्टर किस्म गै.मु. खारडा भूमि पर सम्वत 2074 में कच्चा छप्पर बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किया गया। नोटिस की प्रति गैर सायलान स्वयं व बड़ा भाई ने प्राप्त किया। गैर सायलान उपस्थित होकर जवाब पेश कर कथन किया कि में एक भूमिहीन व्यक्ति हूँ तथा में किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है।

गैर सायलान द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि जिससे प्रार्थना -पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि हो सके एवं न ही विधिक साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किया है। एवं उक्त भूमि आज दिन भी राजस्व रिकार्ड में गैर मु. खारडा दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि गैर सायलान ने जानबूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहे हैं।


तहसीलदार

राजस्थान न्यायालय (नागौर)

सगुण्ड

(2)

गैर सायलान को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है, तथा कस्बा कुचामन सिटी के आराजी राज खसरा नम्बर 2389 कुल रकबा 38.01 हैक्टेयर किस्म गै.मु. खारड़ा भूमि में से रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप गैर सायलान पर लगान 0.15 का पच्चास गुणा से राशि 08/- अक्षरे आठ रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को गैर सायलान को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे। आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाइ जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ़तर दाखिल हो।
निर्णय आज दिनांक 15.12.2017 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(महेश्वर प्रसाद शर्मा)
तहसीलदार कुचामन सिटी
जिला नागौर - राज0

माँग कायमी रा.ले.स.-4
कि.पृष्ठ सं. 12
वर्ष 2017-18
रा.जुर्माना 8
क.निलाम -
गोचर जुर्माना -
प्रा.पैदावार -

तराले कुचामन सिटी